सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 129 राँची, मंगलवार, 11 मार्च, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 फ़रवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-357/2014 का.--28938 (HRMS)--श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-724/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, राँची के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, राँची के पत्रांक-210, दिनांक 06.08.2004 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्रीमती प्रसाद के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं०-1- तमाड़ प्रखण्ड अंतर्गत बिरगाँव बड़ा तालाब का निर्माण, योजना संख्या-03/2002-03 यह योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना धारा-1 अंतर्गत स्वीकृत है। इसकी प्राक्कलित राशि 6,62,000/- रूपये के विरूद्ध 5,94,950/- रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है। इस योजना का अभिलेख दिनांक 25.11.2002 को खोला गया है, किन्तु निरीक्षण तिथि दिनांक 30.09.2003 तक योजना कार्य अपूर्ण पाया गया जबकि 28.02.2003 तक ही योजना का कार्य पूर्ण करना था ।

सभी कच्ची योजनाओं का कार्य 15 जून के बाद बंद करने एवं किए गए कार्य की मापी अंकित करने का निर्देश दिनांक 04.06.2003 को आहूत जिला समन्वय समिति की बैठक में दिया गया था, किन्तु इस योजना में 15 जून के बाद 16.06.2003 से 28.06.2003 तक 12 दिनों में 3,99,950/- रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त माह अगस्त में भी इस योजना में 70,000/- रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है। योजना कार्य अग्रिम एवं प्राक्कलन के अनुरुप नहीं पाया गया। इस योजना के निरीक्षण/पर्यवेक्षण में आपके द्वारा लापरवाही बरती गई, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग/ गबन हुआ।

आरोप सं०-2- महावीर मंदिर तमाड़ से जाहेर टिकर भाया पतरा तक 6.00 कि०मी० ग्रेड-1 पथ, योजना संख्या 4/2002-3। यह योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, धारा-1 अंतर्गत स्वीकृत है। इस योजना की प्राक्कलित राशि 20,27,700/- रुपये के विरुद्ध 18,93,968 रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है। इस योजना में कनीय अभियंता द्वारा कार्य का मूल्यांकन 18,77,140 रुपये का किया गया है। योजना अभिलेख दिनांक 25.11.2002 को खोला गया एवं निर्गत कार्यादेश के अनुसार योजना कार्य दिनांक 28.02.2003 तक पूर्ण करना था किन्तु निरीक्षण तिथि दिनांक 20.09.2003 तक योजना कार्य अपूर्ण पाया गया ।

इस योजना में फ्लैंक का कार्य नहीं किया गया है। पथ के संपीड़न में रोलर का उपयोग नहीं किया गया है। पथ उबड़-खाबड़ बने हुए है। पथ में मोरम नाम मात्र के डाले गए है। अवशेष कार्य को शेष राशि से पूर्ण कराना संभव नहीं है। योजना के निरीक्षण/पर्यवेक्षण में आपके द्वारा लापरवाही बरती गई जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ।

आरोप सं०-3- एन०एच० 33 से चायगुडिया, जेठाडीह भाया लोहड़ी टिम्पुर तक 6.75 कि०मी० ग्रेड-1 पथ निर्माण, योजना संख्या-5/2002-03। यह योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, धारा-1 अंतर्गत स्वीकृत है। इसकी प्राक्कलित राशि 20,68,300/- रुपये के विरुद्ध 18,74,590.00 रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है। कनीय अभियंता द्वारा मापी के अनुसार कार्य का मूल्यांकन 18,24,590.00 रुपये का किया गया है। योजना अभिलेख दिनांक 15.11.2002 को खोला गया है। निर्गत कार्यादेश के अनुसार योजना कार्य 30.04.2003 तक पूर्ण करना था किन्तु निरीक्षण तिथि दिनांक 30.09.2003 तक योजना कार्य अपूर्ण पाया गया ।

स्थल जांच में योजना की गुणवत्ता अत्यंत खराब पाई गई। पथ में कहीं भी फ्लैंक का कार्य नहीं किया गया है। पथ में मोरम नाम मात्र के डाले गए है। निर्माणाधीन पथ पर घास उगे हुए थे। पथ उबड़-खाबड़ दिख रहा था। निरीक्षण के दौरान काटे गए मिट्टी का खनता दिखलाई नहीं पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि मिट्टी का कार्य भी प्राक्कलन के अनुरुप नहीं कराया गया है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6400, दिनांक 29.09.2009 द्वारा श्रीमती प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिसके अनुपालन में उनके पत्र, दिनांक 14.10.2009 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-397, दिनांक 25.01.2010 द्वारा उप विकास आयुक्त, राँची से उपायुक्त, राँची की अनुशंसा सहित मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-85/गो०, दिनांक 05.05.2010 द्वारा निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के पत्रांक-72/गो०, दिनांक 12.04.2010 द्वारा गठित मंतव्य की प्रति उपलब्ध करायी गयी। पुनः उपायुक्त, राँची के ज्ञापांक-292/गो0, दिनांक 01.11.2021 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया ।

3. श्रीमती प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य/प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्रीमती प्रसाद के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6608, दिनांक 28.11.2023 द्वारा श्रीमती प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी ।

4. श्रीमती प्रसाद के पत्र, दिनांक 11.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्रीमती प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण के बिन्दुओं पर किसी प्रकार का नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है। समीक्षोपरांत, श्रीमती प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए विभागीय संकल्प सं०-25257(HRMS), दिनांक 19.04.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

5. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्रीमती प्रसाद द्वारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2376, दिनांक 04.09.2024 द्वारा श्रीमती प्रसाद का अपील अभ्यावेदन को इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है। श्रीमती प्रसाद द्वारा अपील अभ्यावेदन में समर्पित तथ्य निम्नवत् है-

(क) उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। जिसके क्रम में उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया था। उक्त स्पष्टीकरण पर कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा उप विकास आयुक्त, राँची/उपायुक्त, राँची से मंतव्य की मांग की गयी थी। उक्त के क्रम में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची द्वारा उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा करते हुए स्पष्टीकरण को संतोषजनक/स्वीकार करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। उक्त प्रतिवेदन को उपायुक्त, राँची के द्वारा स्वीकार करते हुए पत्र दिनांक-04.05.2010 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजा गया था ।

(ख) उसके उपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र दिनांक-27.12.2023 द्वारा उनसे प्रस्तावित दण्ड के विरूद्ध द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। इतने दिनों तक उन्हें प्रस्तुत मामले के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी और न ही प्रदान की गयी थी ।

(ग) उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में पुनः स्पष्ट किया गया कि वे दिनांक-11.07.2003 को तमाड़ प्रखण्ड में योगदान की थी। आरोप संख्या-1 के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कनीय अभियंता के द्वारा दिनांक-30.06.2003 को एवं सहायक अभियंता के द्वारा दिनांक-10.07.2003 को किये गये कार्य की मापी की गयी थी। चूँकि वे दिनांक-11.07.2003 को प्रखण्ड में योगदान की थी तथा उनके द्वारा मात्र मजदूरों के मजदूरी का भुगतान का आदेश कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के प्रतिवेदन के आधार पर दिया गया। उक्त योजना के संबंध में उनके पूर्ववत्ती पदाधिकारी के द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जा चुकी थी ।

(घ) आरोप संख्या-3 के संबंध में भी श्रीमती प्रसाद के द्वारा अंकित किया गया है कि उनके द्वारा प्रखण्ड में दिनांक- 11.07.2003 को योगदान किया गया था तथा कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के प्रतिवेदन के आधार पर उनके द्वारा 3,38,112/- रूपये का भुगतान मजदूरो के मजदूरी के लिए किया गया था ।

(ङ) उनके विरूद्ध जो भी आरोप लगे हैं, वे सभी योजनायें उनके पदस्थापन दिनांक-11.07.2003 के पूर्व के थे। उससे संबंधित सभी योजनाओं का कार्यान्वयन उनके पूर्ववत्ती पदाधिकारी के द्वारा किया गया था तथा उनपर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं उठाया गया एवं उन्हें बरी कर दिया गया है ।

(च) उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वे कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है ।

(छ) उनके विरूद्ध आरोप 2010 से लंबित था, परन्तु कार्मिक विभाग के द्वारा उन्हें जाँच हेतु कभी बुलाया नहीं गया एवं उनसे सीधे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। जबकि दिनांक-03.09.2014 एवं 01.11.2021 को उपायुक्त, राँची के द्वारा कार्मिक विभाग को भेजे गये प्रतिवेदन में उनके स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत संतोषजनक माना गया है ।

6. श्रीमती प्रसाद द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा से स्पष्ट है कि प्रासंगिक योजना उनके पदस्थापन के पूर्व का था, जिसमें उनके द्वारा संबंधित अभियंता की अनुशंसा के आलोक में मात्र मजदूरों के मजदूरी के भुगतान हेतु राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गयी थी। अन्य राशि का भुगतान उनके पूर्व के पदाधिकारी के द्वारा ही किया जा चुका था। उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के संबंध में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची द्वारा मान्य प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया है, जिस पर उपायुक्त, राँची द्वारा सहमति अंकित की गई है ।

7. समीक्षोपरांत, श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 724/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-25257(HRMS), दिनांक 19.04.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को विलोपित करने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक- 21.01.2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृत किया गया है ।

8. अतः श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 724/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-25257(HRMS), दिनांक 19.04.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को विलोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	**Employee Name G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	KUMKUM PRASAD BHR/BAS/3410	श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 724/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-25257(HRMS), दिनांक 19.04.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को विलोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 129 - 50